

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय टिप्पणी

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार तय मापदण्ड तीन वर्ष के भीतर पूरे करने थे। इन विद्यालयों को स्वघोषणा पत्र प्रपत्र-2 में मान्यता प्रदान की गई थी।

उसी मान्यता को इस कार्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निम्न विद्यालय की मान्यता तय मापदण्ड पूरे करने से अन्य आदेश तक बढ़ाई जाती है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं 19 की पालना करने में कोई विद्यालय असफल रहता है तो विद्यालय की मान्यता उक्त धारा 3 के अनुसार तय तरीके से वापस ली जा सकेगी।

क्र.सं.	संस्था का नाम	विद्यालय कोड	स्तर
1	पाटनी पब्लिक स्कूल, निम्बाहेड़ा	NBH-123	उप्रावि

G. Rajan
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारं. शिक्षा, चित्तौड़गढ़
दिनांक : 10.02.2017

क्रमांक : जिशिचि/प्राशि/कास/वि.मा./2017/ 507

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान् शिक्षा उपनिदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
- ✓ 4. संबंधित संस्थाप्रधान पाटनी पब्लिक स्कूल निम्बाहेड़ा
5. कार्यालय प्रति।

G. Rajan
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारं. शिक्षा, चित्तौड़गढ़